उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 397 / XXX(2) / 2019–30(2) / 2019
देहरादून दिनांकः 17 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय / अशासकीय सेवाओं में सेवायोजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय / अशासकीय सेवाओं मे क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय / अशासकीय सेवाओं मे क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली का लागू होना

2. यह नियमावली राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों में राजकीय / अशासकीय सेवाओं में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

3. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाऐं

4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सम्बन्धित सेवा नियमावली में किसी ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती है, में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता–पिता एवं माता–पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं प्रमाण पत्र

5. (1) उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों का रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर समुचित अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में कराना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।